उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश राज्य न्यायालय वीडियो कान्फ्रेंसिंग नियमावली, 2020

अधिसूचना–27 नवम्बर, 2020

संक्षिप्त विवरण

➢ महत्वपूर्ण परिभाषाएं–

- ''समन्वयकर्ता'' का तात्पर्य नियम–5 के अधीन समन्वयकर्ता के रूप में नाम निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से है।
- ''न्यायालय स्थल'' का तात्पर्य न्यायालय कक्ष या एक या उससे अधिक स्थानों से है, जहाँ न्यायालय भौतिक रूप से संयोजित किया जाता है, अथवा ऐसे स्थान से है जहाँ कोई आयुक्त या कोई जाँचकर्ता अधिकारी न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में कार्यवाहियाँ आयोजित करता है।
- ''सुदूर स्थल'' ऐसा स्थान है जहाँ किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से वीडियों लिंक के माध्यम से उपस्थित रहने या उपसंजात होने की अपेक्षा की जाती है।

➢ वीडियो कान्फ्रेंसिंग को शासित करने वाले सामान्य सिद्धान्त–

- वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग समस्त चरणों की न्यायिक और न्यायालय द्वारा संचालित कार्यवाहियों में किया जा सकता है।
- किसी न्यायालय के लिये लागू नियमावली आवश्यक परिवर्तन सहित साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त के लिये और साथ संचालित करने वाले किसी जाँच अधिकारी के लिये लागू होगी।

➢ वीडियों कान्फ्रेंसिंग हेतु संस्तुत सुविधायें–

- डेस्कटाप, लैपटाप, इन्टरनेट कनेक्शन और प्रिन्टर सहित मोबाइल युक्तियां
- अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने वाली युक्ति
- कैमरा
- माइक्रोफोन और स्पीकर

➢ प्रारम्भिक व्यवस्थायें–

- दोनों न्यायालय स्थल और सुदूर स्थल पर एक समन्वयकर्ता होगा, जहां से किसी व्यक्ति को परीक्षित किया जाना हो या उसकी सुनवाई की जानी हो ।
- जिला न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले सिविल और दाण्डिक न्यायालयों में उच्च न्यायालय या सम्बन्धित जिला न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को नियम 5.3 में यथा उपबन्धित रूप में न्यायालय स्थल और सुदूर स्थल पर समन्वयकर्ताओं के कृत्यों का सम्पादन करना होगा।

➢ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपसंजात होने, साक्ष्य देने और निवेदन करने के लिए आवेदन–

- जहाँ कार्यवाहियाँ न्यायालय के अनुरोध पर प्रारम्भ की गयी हो, उनके सिवाय कार्यवाही या साक्ष्य के लिये कोई पक्षकार वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिये अनुरोध कर सकता है।
- अनुरोध प्राप्त किये जाने पर और समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सुनवाई करने पर न्यायालय यह अभिनिश्चित करने के पश्चात एक समुचित आदेश पारित करेगा कि उक्त आवेदन निष्पक्ष विचारण में व्यवधान डालने या कार्यवाहियों को विलम्बित करने के आशय से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- लागत, यदि वीडियो के माध्यम से कार्यवाही आयोजित करने वाले आदेश द्वारा संदाय किये जाने हेतु निदेशित किये गये हों, उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट समय के अन्तर्गत जमा किये जायेंगे।

➢ व्यक्तियों का परीक्षण किया जाना –

- साक्षी सहित परीक्षित किये जा रहे किसी व्यक्ति को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षित किये जाने के पूर्व सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त पहचान दस्तावेज दाखिल करना होगा।
- जहाँ परीक्षित किया जा रहा व्यक्ति या विचारण किया जाने वाला अभियुक्त अभिरक्षा में हो वहाँ यथास्थिति बयान या परिसाक्ष्य, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिलिखित किया जा सकता है।
- न्यायालय परीक्षित किये जा रहे व्यक्ति की एक बार परीक्षण समाप्त कर लिये जाने पर अनुलिपि पर उसका हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। हस्ताक्षरित अनुलिपि, न्यायिक कार्यवाहियों के अभिलेख की अंग होगी।
- न्यायालय, परीक्षित किये जाने वाले व्यक्ति के अनुरोध पर अथवा स्वप्रेरणा से परीक्षित किये जाने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए, परीक्षित व्यक्ति की निजता को संरक्षित करने के लिये, ऐसे पहलुओं यथा आयु, लिंग, शारीरिक दशा और मान्यता प्राप्त रीतियों और प्रथाओं को दृष्टिगत रखते हुये समुचित उपाय करने का निदेश दे सकता है।

➢ सुदूर स्थल पर साक्षी या अभियुक्त को दस्तावेज को प्रदर्शित किया जाना या अवलोकित कराया जाना–

यदि वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी दूरस्थ स्थल पर किसी व्यक्ति को परीक्षित किये जाने के दौरान, व्यक्ति को दस्तावेज अवलोकित कराना आवश्यक हो, तो न्यायालय निम्नलिखित रीति से दस्तावेज अवलोकित कराये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है–

- यदि दस्तावेज न्यायालय में हो, तो दूरस्य स्थल के दस्तावेज की प्रतिलिपि या छायाप्रति को इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित करके और संदृश्यक दस्तावेज के माध्यम से, या;
- यदि दस्तावेज सुदूर स्थल पर हो, तो इसे व्यक्ति के पास रखकर और उसकी प्रतिलिपि या छायाप्रति न्यायालय को इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित करके तथा संदृश्यक दस्तावेज के माध्यम से सुदूर स्थल पर साक्षी और समन्वयकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दस्तावेज की हार्ड प्रतिलिपि तत्पश्चात् न्यायालय स्थल को प्राधिकृत कुरियर/रजिस्ट्रीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सम्प्रेषित की जायेगी।

➢ निर्बाध वीडियो कान्फ्रेंसिंग करना सुनिश्चित किया जाना–

- अधिवक्ता या अपेक्षित व्यक्ति, न्यायालय द्वारा जारी आदेश विनिर्दिष्ट दिनांक और समय पर किसी विनिर्दिष्ट सुदूर स्थल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय को सम्बोधित करेगा। समन्वयकर्ता की उपस्थिति उस सुदूर स्थल पर आवश्यक नहीं होगी जहाँ न्यायालय के समक्ष तर्कों पर सम्बोधन किसी अधिवक्ता या स्वयं पक्षकार द्वारा किया जाना हो।
- न्यायालय स्थल के समन्वयकर्ता को सम्बन्धित अधिवक्ता या अपेक्षित व्यक्ति के सम्पर्क में रहना होगा और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सफल सुनवाई निष्पादित करने की तकनीकी और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के संबंध में उसे मार्गदर्शन देगा।
- न्यायालय स्थल के समन्वयकर्ता को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि समस्त तकनीकी प्रणालियाँ दोनों न्यायालय स्थल और सुदूर स्थल पर क्रियाशील स्थिति में हैं, अनुसूचित वीडियो कान्फ्रेंसिंग से अधिमानतः 30 मिनट पूर्व विचारण वीडियो कान्फ्रेंसिंग भी संचालित करनी होगी।

➢ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन न्यायिक प्रतिप्रेषण किया जाना, आरोप विरचित किया जाना, अभियुक्त का परीक्षण किया जाना और तद्धीन कार्यवाहियाँ किया जाना–

- न्यायालय, अपने विवेक पर, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी अभियुक्त की निरुद्धता को प्राधिकृत कर सकता है और दाण्डिक विचारण में आरोप विरचित कर

सकता है। तथापि लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय और उन्हें छोड़कर समान्यतः प्रथम बार न्यायिक प्रतिप्रेषण या पुलिस प्रतिप्रेषण वीडियो कान्फ्रोसिम के माध्यम से नहीं प्रदान किया जायेगा।

➢ **सामान्य प्रकिया–**

- न्यायालय स्थल पर समन्वयकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग केवल किसी अभिहित वीडियो कान्फ्रेंसिंग साफ्टवेयर के माध्यम से संचालित की जाय।
- वीडियो कान्फ्रेंसिंग सामान्यतः न्यायालय समय में की जायेगी।
- सुदूर स्थल के समन्वयकर्ता को मानदेय स्वरूप ऐसी धनराशि का भुगतान किया जायेगा जैसा कि न्यायालय द्वारा पक्षकारों के परामर्श से निदेश दिया जाय।

➢ **कार्यवाहियों का संचालन–**

- वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रारम्भ होने के पूर्व समस्त सहभागियों को अपनी उपस्थिति अभिलिखित करानी होगी। तथापि यदि कोई सहभागी इच्छुक हो कि उसका चेहरा या नाम छिपाये रखा जाय तो उस आशय की सूचना, कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व न्यायालय स्थल के समन्वयकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी।

➢ **विधिक सहायता निदान केन्द्रों/शिविरों/लोक अदालतों/जेल अदालतों के प्रति पहुंच–**

- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और प्रवृत्त विधियों के उपबन्धों के अनुरूप, विधिक सहायता निदान केन्द्रों, शिविरों, लोक अदालतों या जेल अदालतों से सम्बन्धित कार्यवाहियों में कोई व्यक्ति, जो सुदूर स्थल पर जेल या कारावास में हो, विधि के अनुसार कोई अधिनिर्णय या आदेश पारित किये जाने के पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/सचिव या तालुका विधिक सेवा समिति अथवा लोक अदालतों के सदस्यों द्वारा परीक्षित किया जायेगा।
- ऐसे अधिनिर्णय या आदेश का वही बल होगा मानो यह नियमित लोक अदालत या जेल अदालत द्वारा पारित किया गया हो।
- कार्यवाहियों के अधिनिर्णय या आदेश और अभिलेख की प्रतिलिपि सुदूर स्थल पर प्रेषित की जायेगी।

➢ **ऐसे व्यक्तियों, जो किसी मामले में पक्षकार न हों, को कार्यवाहियाँ अवलोकित करने की अनुज्ञा प्रदान किया जाना–**

- खुली न्यायालयीय कार्यवाही की अपेक्षा का प्रेक्षण करने के उद्देश्य से लोक सदस्यों को कैमरा में संचालित किये जाने हेतु लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के लिये आदेशित कार्यवाहियों के सिवाय वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित न्यायालयीय सुनवाईयों को अवलोकित करने की अनुज्ञा होगी।

संजय सिंह–।
(सदस्य सचिव)